

भारत के उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110001 (भारत)
NEW DELHI - 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/34/2024-2025

26 नवम्बर, 2024

श्री सचिन कुमार
ग्राम-मावीकलाँ पोस्ट- कठुआ
जिला-बागपत, उत्तर प्रदेश-250609

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक -- का पत्र जो इस सचिवालय में 27.10.2024 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ दस रुपये का पो.आ.सं. 65एफ 149291 संलग्न कर अपने आवेदन पर की गई कार्रवाही की जानकारी चाही है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपका दिनांक 05.10.2024 का आवेदन दिनांक 14.11.2024 को श्रीयुत जिलाधिकारी, बागपत को अग्रेषित कर दिया गया था (प्रति संलग्न) तथा उसकी एक प्रति आपको भी इस आशय के साथ प्रेषित कि गई थी कि भविष्य में आप उपर्युक्त अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

अतः आपको पुनः सलाह दी जाती है कि इस विषय में आप श्रीयुत जिलाधिकारी, बागपत, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से संपर्क करने का कष्ट करें।



(सरिता चौहान)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उपराष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT SECRETARIAT
नई दिल्ली / NEW DELHI-110001
TEL.: 23094953, 23094954 FAX : 23094950

फाइल संख्या उ. रा. स./18/01/2024(ह)-प्रशासन

14 नवंबर, 2024

श्रीयुत जिलाधिकारी
जिला मुख्यालय बागपत,
उत्तर प्रदेश -250619

महोदय,

माननीय उप-राष्ट्रपति जी को संबोधित श्री सचित कुमार, ग्राम मवीकलां, पोस्ट काठा तहसील खेकडा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश -250609 का दिनांक 21.10.2024 का पत्र इस सचिवालय में दिनांक 21.10.2024 को प्राप्त हुआ है।

अतः इनका मूल पत्र पूर्ण विवरण सहित प्रचलित नियमानुसार आपके अध्ययन एवं ध्यानाकर्षण/उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आप से अनुरोध है कि उक्त पत्र पर की गई कार्रवाई से आवेदक तथा इस सचिवालय को भी अवगत करने कि कृपा करें।

धन्यवाद

भवदीय,

ह०/-

(सरिता चौहान)

प्रति सूचना:- श्री सचित कुमार, ग्राम मवीकलां, पोस्ट काठा तहसील खेकडा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश -250609 कृपया आपसे निवेदन है कि आप भविष्य में पत्र के संदर्भ में की गई कार्रवाई हेतु उपर्युक्त अधिकारियों के कार्यालय से संपर्क करें।

(सरिता चौहान)

शेवा में
श्री मान उपराष्ट्रपति महोदय
भारत सरकार नई दिल्ली
110001

विषय: 2005 के अन्तर्गत अनुना प्राप्त व्यस है।

महोदय, निवेदन यह है कि प्राथमिक प्रश्न किनास



5/10/2024 को व्यक्ति ने प्राथमिक प्रश्न

दिनांक आश्विन 2005 के अन्तर्गत देने की

आप को यह माग्य है कि आर वदन

के रिस्ट को लाइने को के जा विपक्षीयता

लावर दस्तवे लाइने को कोशिश कर रहे हैं।

विपक्षीय नताम से जोन करके लागू प्रमिस विभाग से साठ-गांठ कर रहे हैं।
पदस्त भाई को - आपकी धर्म नदी रहे हैं।

↓
GSF 149291

प्राथमिक

SACHIN KUMAR SLO MAM CHAND
Vill-MAVILKALAN, POST - LATYA
Dist - BAGHAPAT (U.P.)

250609

mob - 8630 846372

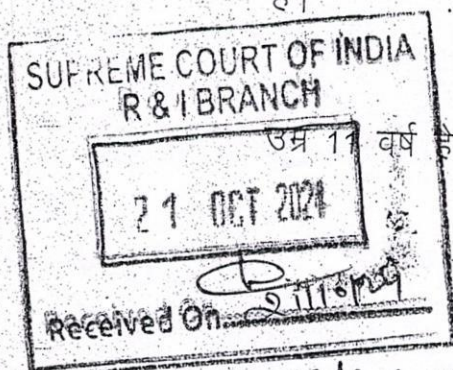
सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली-110001

विषय:- सचिन कुमार के पुत्र कनिष्क ने दिनांक 05.10.2024 को अपनी बहनो से मिलने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें प्रार्थी व कनिष्क को पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय बांगपत उ० प्र० में दिनांक 20.10.2024 को बुलाया और कनिष्क और सचिन कुमार ने ब्यान दिये कासंटेबल/हवलदार आशीष व वेदप्रकाश को तथा अपने ब्यानो की सत्यापित प्रति लेने हेतु आर०टी०आई० लगायी जिसका रजिस्ट्र नं०:-एस०पी०बी०जी०पी०/आर०/2024/60112 है ब्यानो की कॉपी व आर०टी०आई० लैटर साथ में सलग्न हैं के आधार पर तत्काल कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र।

महोदय,

निवेदन यह है कि प्रार्थी के पुत्र ने दिनांक 05.10.2024 को प्रार्थना पत्र कनिष्क के द्वारा दिया गया था जिसमें कनिष्क ने लिखा था कि मेरा नाम कनिष्क है मेरे पिता का नाम सचिन कुमार है मेरी उम्र करीब 11 वर्ष मुझे अपनी दोनो बहनो से मिलना है जब मैं अपनी बहनो से मिलूंगा तो मेरी मम्मी के घरवालो का कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए केवल मैं कनिष्क मेरी मम्मी रजनी मेरी दोनो बहना शिवांगी उम्र 9 वर्ष व काव्या उम्र 4 वर्ष व मेरे पापा जी सचिन कुमार और साथ में पुलिस साथ में रहनी चाहिए मेरी नानी व मेरी मम्मी के चाचा को पैसा चाहिए वे लालची हैं स्थानीय पोस्ट मैन से साठ गांठ कर रखी है जवाब नहीं आता है। तथा सभी थानो में सेंटिंग कर लेते हैं कार्यवाही होने नहीं देते हैं।

1. यह है कि दिनांक 20.10.2024 को कनिष्क ने ब्यान दिये जो इस प्रकार है।

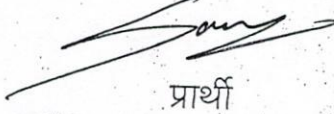


मेरा नाम कनिष्क है मुझे मेरी दोनो बहनो से मिलना है मेरी उम्र 11 वर्ष है जब मैं अपनी दोनो बहनो से मिलूंगा तो साथ में मेरे पापा

12983/24 Time व्यक्त 11:10 AM.

- साथ में सलंगन है। 3. प्रार्थी का पुत्र कनिष्क का कहना है कि मुझे मम्मी पापा के मुकदमों से कोई लेना देना नहीं है मुझे अपनी बहनो से मिलने का अधिकार तत्काल दिलाया जावे। प्रार्थी द्वारा साथ में भेजे जा रहे 1 से 8 तक सभी प्रार्थना पत्रों का अध्ययन करते हुए तत्काल शक्ति से कार्यवाही की जावे। तथा प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्र कनिष्क दोनों की रजामन्दी से लिखाया गया है। तथा आज दिनांक 20.10.2024 को ब्यान की सत्यापित प्रति प्रार्थी को दी जावे जो प्रार्थी का मानव व मौलिक अधिकार है।
4. सचिन कुमार के पुत्र कनिष्क ने दिनांक 05.10.2024 को अपनी बहनो से मिलने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें प्रार्थी व कनिष्क को पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय बागपत उ० प्र० में दिनांक 20.10.2024 को बुलाया और कनिष्क और सचिन कुमार ने ब्यान दिये कासंटेबल/हवलदार आशीष व वेदप्रकाश को तथा अपने बयानों की सत्यापित प्रति लेने हेतु आर०टी०आई० लगायी जिसका रजिस्ट्र नं०:-एस०पी०बी०जी०पी०/आर०/2024/60112 है बयानों की कॉपी व आर०टी०आई० लैटर साथ में सलंगन है के आधार पर तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।
- अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि साथ में भेजे जा रहे सचिन कुमार व कनिष्क के बयानों व आर०टी०आई० व साथ में सलंगन सबूतों के आधार पर तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक:-21.10.2024


प्रार्थी
सचिन कुमार व कनिष्क
निवासी ग्राम मवीकलां पोस्ट काठा
तहसील खेकडा जिला बागपत।
पिन-250609